बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

संचिका संख्या– 3/एम०–01/2012.........11428.../ बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011(बिहार अधिनियम, 04, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नई सेवाओं (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एवं मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना) को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन शामिल करती है एवं तदनुसार अधिसूचना संख्या– 1423 दिनांक–11.05.2011 के परिशिष्ट–1 में कमांक 21 एवं 22 निम्नवत् शामिल करती है:–

क्रमांक	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय– सीमा
21	*राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए प्राप्त आवेदन का निष्पादन*	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	30 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्यदिवस
22	*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए प्राप्त आवेदन का निष्पादन*	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	निधि की उपलब्धता के बाद 15 कार्य–दिवस	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी–आई.सी.डी.एस.	15 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्यदिवस

2. अधिसूचना संख्या– 1423 दिनांक–11.05.2011 के परिशिष्ट–1 के कमांक 3, 4 एवं 5 में कमशः जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्रों के लिए निष्पादन की समय सीमा को 21 कार्य दिवस से घटाकर 14 कार्य दिवस किया जाता है । शेष प्रावधान पूर्ववत् समझे जायेंगे।

3. अधिसूचना संख्या– 1423 दिनांक–11.05.2011 के परिशिष्ट–1 के कमांक 17 में दाखिल–खारिज की आपत्ति सहित वाद के निष्पादन की अवधि वर्तमान में 30 दिन निर्धारित है । प्रस्तावित दाखिल–खारिज नियमावली के संशोधन के आलोक में आपत्ति सहित वादों के आवेदन के निष्पादन की समय–सीमा 60 कार्य–दिवस निर्धारित की जाती है। तदनुसार उक्त कमांक 17 के संबंधित अंश निम्नवत् उपांतरित समझे जायेंगे–

क्रमांक	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय– सीमा
17	दाखिल खारिज (i) नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में	(क) वाद, जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्यदिवस
		(ख) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्यदिवस
	(ii) शिविर में	(क) आपत्ति सहित वाद	अंचलाधिकारी	60 कार्यदिवस
		(ख) आपत्ति युक्त वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्यदिवस

उक्त परिशिष्ट–1 के कमांक 17 के शेष प्रावधान पूर्ववत् समझे जायेंगें।

4. दिनांक 01 दिसम्बर 2011 के पश्चात् निर्गत आय/जाति/आवासीय प्रमाण पत्रों की Duplicate प्रति प्राप्त करने की नई सेवा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अधीन शामिल किया जाता है एवं तदनुसार अधिसूचना संख्या– 1423 दिनांक–11.05.2011 के परिशिष्ट–1 में कमांक 23 निम्नवत् शामिल की जाती है:–

क्रमांक	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा
23	दिनांक 01 दिसम्बर 2011 के पश्चात निर्गत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्रों को पुनः निर्गत करने की कार्रवाई	(i) अंचलाधिकारी स्तर पर	अंचलाधिकारी	3 कार्यदिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्यदिवस
		(ii) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर	(क) अनुमंडल पदाधिकारी या	3 कार्यदिवस	(क) जिला पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	(क) प्रमंडलीय आयुक्त	7 कार्यदिवस
			(ख) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	3 कार्यदिवस	(ख) अनुमंडल पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	(ख) जिला पदाधिकारी	7 कार्यदिवस
		(iii) जिला पदाधिकारी स्तर पर	जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	3 कार्यदिवस	जिला पदाधिकारी	7 कार्यदिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	7 कार्यदिवस

5. दिल्ली एवं इसके आस–पास में रहने वाले बिहार निवासियों को, स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली कार्यालय के माध्यम से, जाति/आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त सेवा को अधिसूचना संख्या– 1423 दिनांक–11.05.2011 के परिशिष्ट–1 में क्रमांक 24 निम्नवत् शामिल किया जाता है:–

क्रमांक	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय–सीमा
24	स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली कार्यालय से जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण– पत्रों को प्राप्त करना	स्थानिक आयुक्त के सचिव–सह– संपर्क पदाधिकारी	28 कार्यदिवस	उप स्थानिक आयुक्त–सह– मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी	15 कार्यदिवस	अपर स्थानिक आयुक्त	15 कार्यदिवस

2. यह तुरत प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

5.8.2012

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –3/एम०–01/2012–सा०प्र० ....11428... /   पटना–15, दिनांक ....15.8.........., 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –3/एम०–01/2012–सा०प्र० ....11428... /   पटना–15, दिनांक ....15.8.........., 2012

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक 15.8., 2012

संख्या– 3/एम० –01/2012– 11429 / अधिसूचना सं० 11428 दिनांक 15.8.12 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अजय [illegible] चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated 15.8.... 2012

No. -3/M-01/2012- 11429 / In exercise of powers conferred under Section-3 of the Bihar Right to Public Services Act, 2011 (Bihar Act 04, 2011), the State Government is hereby please to include the following new services (Rashtriya Pariwarik Labh Yojna and Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna) under the Bihar Right to Public Services Act and accordingly include Serial no.-21 and 22 in Appendix-1 of Notification no. 1423 dated- 11.05.2011 as follows -

Sl. No.	Name of Service	Designated public servant	Time limit for service	Appellate Authority	Time limit for disposal of first appeal	Reviewing Authority	Time limit for disposal of second appeal
21.	Disposal of application received for Rashtriya Pariwarik Labh Yojna	BDO	30 working days	DM	15 working days	Divisional Commissioner	15 working days
22	Disposal of application received for Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojna	BDO	15 working days after the date of availability of Fund.	District Programme Officer-ICDS	15 working days	DM	15 working days

2. Time limit for disposal of Caste, Domicile and Income Certificates mentioned in Sl. No. 3, 4 and 5 of Appendix-1 of Notification No. 1423 dated - 11.05.2011 is being reduced from 21 working days to 14 working days. Remaining provisions shall be deemed to be as before.

3. At present time limit for disposal of Mutation cases with objections is 30 days in the Sl. No. 17 of Appendix-1 of Notification No. 1423 dated - 11.05.2011. Due to proposed amendment in Mutation Rule, the time limit for disposal of Mutation cases with objections is being fixed as 60 working days. Accordingly the said Sl. No. 17 shall be deemed to be modified as follows:-

Sl. No.	Name of Service		Designated Public Servant	Time limit for service
17	Mutation (i) In regular quasi-judicial Court	(a) Cases in which objections have been filed	C.O.	60 Working days
		(b) Issuance of	C.O.	03 Working days

		Correction slip with effect from the date of the last order		from the date of the order
	(ii) In camp	(a) Cases with objection	C.O.	60 working days
		(b) Issuance of correction slip in case of objections	C.O.	03 Working days from the date of the order

Remaining provisions of serial no. 17 of Appendix -1 shall be deemed to be as before.

4. The new services of obtaining duplicate copy of Income/Caste/ Domicile certificates issued after 01 Dec., 2011 is being included in the Bihar Right to Public Services Act. 2011 and accordingly is being included in appendix-1 of notification no. 1423 dated 11.05.2011 at Sl. No. 23 as follows:-

Sl. No.	Name of Service		Designated Public Servant	Time limit for service	Appellate Authority	Time limit for disposal of first appeal	Reviewing Authority	Time limit for disposal of second appeal
23.	Action for re-issuance of caste, income and domicile certificates after 01.12.2011	(i) At C.O. Level	C.O.	03 Working days	S.D.O.	7 working days	D.M.	7 working days
		(ii) At S.D.O. level	(a) S.D.O or	3 Working days	(a) D.M	7 working days	(a) Divisional Commissioner	7 working days
			(b) Officer authorised by S.D.O.	3 working days	(b) S.D.O	7 working days	(b) D.M.	7 working days
		(iii) At D.M. level	Officer authorised by D.M.	3 working days	D.M.	7 working days	Divisional Commissioner	7 working days

5. It has been decided to facilitate the residents of Bihar who resides in Delhi/NCR to get Caste, Income and Domicile certificate from the office of Resident Commissioner Bihar, Bihar Bhawan, New Delhi. The said service is being included in the Bihar Right to Public Services Act and accordingly Serial no.-24 is being included in Apendix-1 of Notification no. 1423 dated-11.05.2011 as follows -

Sl. No.	Name of Service	Designated Public Servant	Time limit for service	Appellate Authority	Time limit for disposal of first appeal	Reviewing Authority	Time limit for disposal of second appeal
24.	Obtaining of Caste, Income and Domicile certificate from the office of the Resident Commissioner Bihar, Bihar Bhawan, New Delhi	Secretary to the Resident Commissioner – cum-Liaison Officer	28 working days	Dy. Resident Commissioner-cum-Chief Administrative officer	15 working days	Additional Resident Commissioner	15 working days

4. It shall come into force at once.

By Order of the Governor of Bihar

(Ajay Kumar Chaudhary)
Joint Secretary to Govt.

ज्ञापांक –3/एम०–01/2012सा०प्र०– 11429 /   पटना–15, दिनांक 15-8, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.8.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।